

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-

1331 (मो०) पटना, दिनांक-27/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।

विषय:- जहानाबाद जिलान्तर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत प्रखण्डाधीन आदर्श ग्राम सिकरिया में जल संचयन हेतु गैरमजरूआ गड्ढा (गबडों) को अतिक्रमण मुक्त कर सफाई कराने के संबंध में।

प्रसंग:- श्री मृत्युंजय सिंह, ग्राम-सिकरिया, पो०-भेवड़ सिकरिया, जिला-जहानाबाद का पत्रांक-13 अनु०, दिनांक-19.03.2020 एवं पत्रांक-09, दिनांक-28.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्री मृत्युंजय सिंह, ग्राम-सिकरिया, पो०-भेवड़ सिकरिया, जिला-जहानाबाद द्वारा जहानाबाद जिलान्तर्गत आदर्श ग्राम सिकरिया में खेसरा सं०-260 रकवा एक एकड़ 29 डी० में गैरमजरूआ आम गड्ढों (गबडों) को अतिक्रमण मुक्त कर सफाई कराने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसपर माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा जनहित सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जाँच कर ली जाय। यदि योजना सम्भाव्य हो तो इसे अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी के कार्यालय में Bihar Public Land Encroachment के तहत मुकदमा दायर करें।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1331 (मो०)

/पटना, दिनांक-27/6/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया एवं मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1331 (मो०)

/पटना, दिनांक-27/6/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1331 (मो०)

/पटना, दिनांक-27/6/2020

प्रतिलिपि- श्री मृत्युंजय सिंह ग्राम-सिकरिया पो०-भेवड़ सिकरिया, जिला-जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

लोक नायक जयप्रकाश अमर रहें अमर रहें

मृत्युंजय सिंह, "जे०पी० सेनानी"

ग्राम - सिकरिया, पो०-भेवड़ सिकरिया, पिन कोड - 804454, जिला- जहानाबाद,

मुख्य संरक्षक- माँ दुःखहरणी काली मंदिर, सिकरिया

संरक्षक-श्री पटेल पुस्तकालय सिकरिया

मो०सं०-9430293748

Sloved Post

जे०पी० सेनानी आई०डी० सं०-OP201001999

पत्रांक: 13 अगस्त

दिनांक: 19/8/20

केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनहित कल्याणकारी योजना "जल जीवन हरियाली" अभियान की सफलता हेतु एक "जे० पी० सेनानी" का महामहिम एवं सरकार के माननीयों से गुहार।

सेवा में,

महामहिम, राज्यपाल, बिहार पटना।

श्री नीतिश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार पटना।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार पटना।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री उर्जा एवं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन

श्री प्रेम कुमार, मंत्री, कृषि एवं मत्स्य संसाधन

श्री संजय कुमार झा, मंत्री, जल संसाधन

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री, पथ निर्माण विभाग

श्री श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री बिनोद कुमार सिंह, मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग

श्री श्याम रजक, मंत्री, उद्योग विभाग

श्री राणा रणधीर सिंह, सहकारिता मंत्री

श्री संतोष कुमार निराला, परिवहन मंत्री

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा मंत्री

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग

श्री बिजय कुमार सिन्हा, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री, पर्यटन विभाग

श्री शैलेश कुमार, मंत्री, ग्रामीण कार्य

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण

श्री फिरोज अहमद, मंत्री, अल्प संख्यक, कल्याण

श्रीमति बिन्मा भारती, मंत्री, गन्ना उद्योग

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री, विधि एवं लघु जल संसाधन विभाग

श्री बृजकिशोर बिन्दु, मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग

श्री मदन सहनी, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री, पंचायत राज

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा

श्री विनोद कुमार झा, मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

श्री अशोक चौधरी, मंत्री, भवन निर्माण विभाग

प्रधान लक्ष्मी
कृष्ण जनहित
सर्वकार के लक्ष्य
निर्माण कार्य
श्रम संसाधन
आवास एवं नगरीय
विकास कार्य
श्री 5/11/20
28-5-2020
(नरेन्द्र नारायण यादव)

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
मो०सं०-9430293748
दिनांक: 29/08/2020

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
30 MAR 2020

रवि
27/8/20
15/8

रवि
26/8/20
12-06-2020

रवि
26/8/20
12-06-2020

रवि
26/8/20
12-06-2020

रवि
26/8/20
12-06-2020

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री, योजना एवं विकास विभाग
श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
श्री नीरज कुमार, मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
श्री रामसेवक सिंह, मंत्री, समाज कल्याण विभाग
श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह, सांसद, राज्य सभा
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी, सांसद, जहानाबाद
श्री अभिराम शर्मा, भूतपूर्व विधायक, जहानाबाद

विषय: जल जीवन हरियाली के अन्तर्गत जहानाबाद जिला एवं प्रखण्डाधीन आदर्श ग्राम सिकरिया के अन्तर्गत आदर्श ग्राम सिकरिया में पूर्वजों के समय से जल संचयन हेतु अपासी गैरमजरूआ आम गढ़ो (गबड़ो) को अतिक्रमण मुक्त कर सफाई कराने के सन्दर्भ में।

प्रसंग: बिहार सरकार, ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प सं०-442496 दिनांक-27.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सविनय कहना है:-

1. यह कि उक्त गाँव में तीन गैरमजरूआ आम गबड़ा खेसरा सं०-60,260, एवं 1063 है जिसमें पूर्वजों के समय से ही गाँव के जल की निकासी, उस जल से सिंचाई एवं आगलगी में आगबुझाने के काम में आता था एवं जल संचयन के कारण जल की सतह भी बना रहता था।
2. यह कि खेसरा सं०-260 का रकवा 01 एकड़ 29 डि० (अतिक्रमित) खेसरा सं०-1063 रकवा 32 डि०, (पूर्ण अतिक्रमित) एवं खेसरा सं०-60 रकवा 19 डि० आंशिक अतिक्रमित है। (छाया प्रति संलग्न)
3. यह कि अतिक्रमण के विरुद्ध दायर लोक हित याचिका CWJC 2291/2019 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी जहानाबाद को छः माह के अन्दर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया। (छाया प्रति संलग्न)
4. यह कि अतिक्रमणकारियों का कहना है कि उन्हें उक्त गैरमजरूआ आम में सरकार द्वारा इन्दिरा आवास का आवंटन/प्रधान मंत्री आवास योजना द्वारा आवास निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है।
5. यह कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जहानाबाद ने सूचना का अधिकार में पत्रांक-63 दिनांक-14.01.2020 द्वारा सूचित किया है कि गैरमजरूआ आम खेसरा-60,260 एवं 1063 में कोई इन्दिरा आवास आवंटित नहीं है। (छाया प्रति संलग्न)
6. यह कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना में पत्रांक-452713 दिनांक-09.01.2020 द्वारा सूचित किया है कि इन्दिरा आवास/प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ निजि जमीन पर ही दिया जाता है। (छाया प्रति संलग्न)
7. यह कि क्रमांक-5 एवं 6 में उद्धृत तथ्यों से स्पष्ट है कि अतिक्रमणकारियों का कथन बिल्कुल ही गलत तथ्यहीन एवं भ्रामक है।
8. यह कि प्रासंगिक पत्र के Annexure-I में अतिक्रमण मुक्त कराने का दायित्व ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को तथा भौतिक सत्यापन के लिए जिला प्रशासनको प्राधिकृत किया है।
9. यह कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिसमें लगभग एक एकड़ का जीर्णोद्धार का कार्य ग्रामीण विकास विभाग को कराना है। इसके अन्तर्गत खेसरा सं०-1063 एवं 60 का जीर्णोद्धार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा सकता है।
10. यह कि खेसरा सं०-260 रकवा एक एकड़ 29 डि० का जीर्णोद्धार प्रासंगिक पत्र के निर्देश के आलोक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराना है।

11. यह कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्तांक-03 दिनांक-05.01.2010 में स्पष्ट है कि वैसे गैरमजरूआ आम भूमि जिसका स्वरूप परिवर्तित हो चुका है जो सार्वजनिक उपयोग के लायक नहीं रह गया है, जिसका पुनरुद्धार सम्भव नहीं है, वैसे ही गैरमजरूआ आम को गठित कमेटी के अनुशंसा के आलोक में प्रखण्डलीय आयुक्त द्वारा बन्दोबस्ती किया जा सकता है। (छाया प्रति संलग्न)
12. यह कि ग्रामीण जनता द्वारा जल निकासी समस्या एवं जल की संचयन हेतु मई-2017 (करीब तीन वर्षों से संघर्षस्त है) अतिक्रमणकारियों को विपक्षी दल का परोक्ष रूप से राजनितिक लाभ हेतु पूर्णरूपेण सहयोग अर्थात राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही सफल नहीं हो रहा है।

अतः महामहिम एवं माननीय मंत्री महोदयों से अनुरोध है कि जिलाधिकारी जहानाबाद को निर्देश/अनुरोध करना चाहेंगे कि जनहित में ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प सं०-442496 दिनांक-27.09.2019 में निहित निर्देशों के अनुपालन करते हुए भौतिक सत्यापन किसी ADM स्तर के पदाधिकारी (क्योंकि पूर्व एवं वर्तमान अचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों का परोक्ष रूप से समर्थन है, वरना माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात ही निर्देश के आलोक में कार्रवाई की गई होती) से कराकर अग्रतर कार्रवाई करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना "जल जीवन हरियाली" अभियान को सफल बनाने हेतु कार्यरूप में परिवर्तित करेंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

मृत्युंजय सिंह
मृत्युंजय सिंह 19/3/20

ग्राम- सिकरिया,

पो०- भेवड़ सिकरिया

जिला-जहानाबाद।

ज्ञापांक: 13 अ/30

दिनांक: 19/3/20

प्रतिलिपि: प्रमण्डलीय आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया एवं जिलाधिकारी जहानाबाद को अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०यथोक्त।

मृत्युंजय सिंह
मृत्युंजय सिंह 19/3/20

ग्राम- सिकरिया,

पो०- भेवड़ सिकरिया

जिला- जहानाबाद।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.2291 of 2019

Hanslal Singh, S/o Late Raja Singh, R/o - Village - Sikariya, Post office -
Bhewar Sikariya, Police Station - Jehanabad. Gender Male.

... .. Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary Revenue and Land Reforms, Bihar, Patna.
 2. The District Magistrate-cum-Collector, Bihar, Patna.
 3. The Sub-Divisional Magistrate, Jehanabad
 4. The Circle Officer, Block Anchal-Jehanabad, District - Jehanabad
 5. The Block Development Officer, Block & Anchal Jehanabad, District-Jehanabad.
 6. The Station House Master, P.S. & District - Jehanabad
 7. Bhim Singh S/o Late Nanhak Singh age about 58 years, Gender-Male
 8. Prem Kumar S/o Bhim Singh, Aged about 32 years, Gender-Male
 9. Shiv Thakur S/o Late Govind Thakur, Aged about-32 years, Gender-Male
 10. Lay Paswan S/o Lalan Paswan, Age about 38 years, Gender - Male
 11. Budhan Paswan S/o Late Bishram Paswan, Aged about 37 years, Gender-Male
 12. Ramdeo Paswan S/o Ghutar Paswan, Aged about 40 years, Gender-Male
 13. Dilip Ram S/o Late Baliram Ram, Aged about 41 years, Gender-Male
 14. Sahdeo Singh S/o Late Nanhak Singh, Aged about 44 years, Gender-Male
 15. Sidheswar Prasad Singh S/o Late Deolal Singh, Aged about 73 years, Gender-Male
 16. Chandeshwar Singh, S/o Late Deolal Singh, Aged about 71 years, Gender-Male
 17. Rajdeo Singh S/o Late Raghunandan Singh, Aged about 58 years, Gender-Male
 18. Chhottu Baitha S/o Late Nathun Baitha. Aged about 42 years, Gender-Male
 19. Siyaram Sao S/o Late Rajendra Sao, Aged about 39 years, Gender-Male
 20. Subodh Sao Son of Late Rajendra Sao, Aged about 38 years, Gender-Male
 21. Wakil Rajak S/o Late Nathun Baitha, Aged about 40 years, Gender-Male
 22. Dinanath Sao S/o Late Khelawan Sao, Aged about 62 years, Gender-Male
 23. Kamlesh Sao S/o Late Lackhi Sao, Aged about 48 years, Gender-Male
 24. Dharmi Sao S/o Late Lachki Sao, Aged about 41 years, Gender-Male
 25. Arun Kumar S/o Late Jamuna Sao, Aged about 37 years, Gender-Male
- Respondent No. 7 to Respondent No. 25 are resident of village Sikariya, P.O.-
Bhewar Sikariya, Anchal + Block + P.S. + District -- Jehanabad.

... .. Respondents

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Pramod Kumar. Singh, Adv.
For the Respondent/s	:	Md. Khurshid Alam, AAG I2

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JYOTI SARAN
and
HONOURABLE MR. JUSTICE ARVIND SRIVASTAVA

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE JYOTI SARAN)

2 07-02-2019

Heard the parties.

The petitioner in Public Interest raises issue of encroachment by the private respondents over the Gair Majarua, Aam Land, details of which finds mentioned in paragraph-1 of the writ petition, situated in Mauza-Sikariya, P.O. and P.S. Bhewar Sikariya in the District of Jehanabad.

Even while espousing such cause, the petitioner fails to satisfy whether any such attempt is made before the statutory authority so empowered to look into the matter under the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 (hereinafter referred to as 'the Act').

In such circumstances, this writ petition is disposed with liberty to the petitioner to raise his grievance by filing appropriate application before the Collector under the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 i.e. respondent no. 4 by arraigning the alleged encroachers as party and also demonstrating the extent of encroachment allegedly made by them and it goes without saying that any such application filed under the provisions of 'the Act' by the petitioner would be considered and disposed of by the respondent no. 4 in accordance with law with due opportunity of hearing to the

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE JYOTI SARAN)

2 07-02-2019

Heard the parties.

The petitioner in Public Interest raises issue of encroachment by the private respondents over the Gair Majorua, Aam Land, details of which finds mentioned in paragraph-1 of the writ petition, situated in Mauza-Sikariya, P.O. and P.S. Bhewar Sikariya in the District of Jehanabad.

Even while espousing such cause, the petitioner fails to satisfy whether any such attempt is made before the statutory authority so empowered to look into the matter under the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 (hereinafter referred to as 'the Act').

In such circumstances, this writ petition is disposed with liberty to the petitioner to raise his grievance by filing appropriate application before the Collector under the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 i.e. respondent no. 4 by arraigning the alleged encroachers as party and also demonstrating the extent of encroachment allegedly made by them and it goes without saying that any such application filed under the provisions of 'the Act' by the petitioner would be considered and disposed of by the respondent no. 4 in accordance with law with due opportunity of hearing to the

